पत्रांक 10 / न 4–71 / 2012.....

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

लक्ष्मण कुमार सिंह,
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक ....

विषय : **Vikash International Public School, Barbigha, Sheikhpura-811101 को अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **Vikash International Public School, Barbigha, Sheikhpura-811101** को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य / सचिव / विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों / कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :–

1. यह विद्यालय **Vidya Vikash Educational Trust, Patna** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति / परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी / न्यास के फ्रेन्चाइजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को 02 एकड़ 18.5 डि0 33 वर्षों के लीज पर भूमि उपलब्ध है। विद्यालय में उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाऐं बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नही।

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 15 शिक्षक हैं। सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक 04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है।

P.T.O

अपेक्षित शर्त्तो के अनुसार :–

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निः शुल्क नामांकन पडोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछडा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से [illegible] के लिए बच्चों का [illegible]।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर [illegible] उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक [illegible]।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्त्तो को पूरा करने के संबध में [illegible] के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर [illegible] सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी [illegible] के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त [illegible] करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तो के उल्लंघन [illegible] में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की [illegible]।

10. विभागीय पत्रांक–46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्र को [illegible] जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्त्तो के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार **Vikash International Public School, Barbigha, Sheikhpura-811101** को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पंत्र प्रदान किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(लक्ष्मण कुमार सिंह)

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक.................................. दिनांक..................................

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक 1502 दिनांक 14/12/12

प्रतिलिपि : प्राचार्य, **Vikash International Public School, Barbigha, Sheikhpura-811101** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

14/12/12

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

शुद्धि पत्र

संख्या–10 / न 4–71 / 2012...... विभागीय आदेश ज्ञापांक–1502 दिनांक–14.12.2012 के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में विद्यालय का नाम "**Vikash International Public School, Barbigha, Sheikhpura-811101**" के स्थान पर "**Vikas International Public School, Barbigha, Sheikhpura-811101**" पढ़ा जाय एवं Trust का नाम "**Vidya Vikash Educational Trust, Patna**" के स्थान पर "**Vidya Vikas Educational Trust, Patna**" पढ़ा जाय। इस हद तक उक्त आदेश को संशोधित समझा जाय।

शेष कंडिका यथावत रहेगी।

ह0 / –
(लक्ष्मण कुमार सिंह)
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक 10 / न 4–71 / 2012...... पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली–110092 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(लक्ष्मण कुमार सिंह)
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक 10 / न 4–71 / 2012......120 पटना, दिनांक...1/2/13...........

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा / प्राचार्य, Vikas International Public School, Barbigha, Sheikhpura-811101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1-2-13
(लक्ष्मण कुमार सिंह)
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।
1/2/13